

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY  
(A Central University established by an Act of Parliament)  
Ministry of HRD, Govt. of India



क्रमांक : एफ.2(13/लबशारासंवि/इ.टै./2020 21/

दिनांक : 04.01.2021

कार्यालयीय सूचना

1. आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार वेतन से आयकर की कटौती बराबर मासिक किशतों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में की जानी है ।
2. लेखा विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में आय के स्रोत पर काटे गए आयकर को फार्म 24क्यू के अंतर्गत (त्रैमासिक विवरण एवं आयकर दाताओं के नाम एवं पैन नंबर के साथ) जमा किया जाता है । आप संलग्न प्रपत्र पर अपना पैन नंबर सही अंकित करें । यह भी ध्यान दें कि पैन नंबर गलत देने पर आयकर विभाग के नियमानुसार दंड का प्रावधान है ।
3. वर्ष 2020 21 के लिए आयकर की दरें संलग्न अनुलग्नक के अनुसार हैं । आयकर की गणना वेतन से अनुमानित आधार पर की जाएगी । मकान किराया छूट, एलआईसी, ट्यूशन फीस एवं अन्य बचत प्रमाणों को दिनांक 15.01.2021 तक कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवा दें ।
4. जो कर्मचारी मकान किराए की छूट चाहते हैं, वे मासिक/त्रैमासिक किराये की रसीद एवं मकान मालिक का नाम, पता एवं मकान मालिक के पैन कार्ड की प्रतिलिपि के साथ कार्यालय में जमा करें ।
5. संलग्न अनुलग्नकों को लेखा विभाग में दिनांक 15.01.2021 से पूर्व निश्चित रूप से जमा करवा दें जिससे अभिलेखानुसार, उपलब्ध बचत पर वर्तमान वार्षिक आय पर छूट दी जा सके ।

सुधामा 4/1/2021

सहायक कुलसचिव (लेखा)

प्रो./डॉ./श्री/श्रीमती .....

पद .....

विभाग .....

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-16  
कर्मचारी आयकर धोषणा पत्र (वित्त वर्ष 2020-21)



|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| नामः--       | पैन नं०--  |                  |
| पदः--        | विभागः--   |                  |
| जन्म तिथि :- |  |                  |
| क्रमांक      | विवरण  | प्रस्तावित निवेश |
| क            | सकल वेतन   |                  |
| ख            | हाउस प्रोपर्टी पर छूट हेतु (आयकर के अनुभाग 24 के अन्तर्गत)<br>मकान (संपत्ति) का पता<br>स्वयं के पास/कब्जे में (हाँ/नहीं)<br>भवन निर्माण अग्रिम ब्याज वित्त वर्ष 2020-21<br>भवन निर्माण से पूर्व का ब्याज (आयकर नियम के अन्तर्गत) |                  |
| ग            | मकान किराया प्रतिमाह (मूल रसीद संलग्न)   |                  |
| घ            | निवेश 80सी0,80सी0सी0सी0,80सी0सी0डी0  |                  |
| 1            | सामान्य भविष्य निधि  |                  |
| 2            | जी0पी0एफ0/एन0पी0एस0 का योगदान  |                  |
| 3            | भवन निर्माण अग्रिम भुगतान (ब्याज के अतिरिक्त)  |                  |
| 4            | जीवन बीमा निगम (वेतन से कटौती छोड़ कर),  |                  |
| 5            | एन0एस0एस0 प्रमाण पत्र  |                  |
| 6            | म्यूचुअल फंड   |                  |
| 7            | ट्यूशन फीस   |                  |
| 8            | अन्य निवेश (उल्लिखित करें )  |                  |
|              | कुल निवेश (यू0/एस0 80 सी0) 1,50,000/ -- तक<br>अन्य लाभ( 80सी0सी0डी0) एन0पी0एस0 रूपये<br>50000 / --   |                  |
| ड            | अन्य बचत   |                  |
| 1            | 80डी0-विकित्सा बीमा (अधिकतम 30,000/ --<br>(वरिष्ठ नागरिक 50,000/ --)   |                  |
| 2            | अन्य निवेश (उल्लिखित करें )  |                  |

विकल्प 01 (कृपया विकल्प 01 या 02 में से एक ही विकल्प चिन्हित करें )

विकल्प 01 का उपयोग हों /नहीं करना चाहता हूँ ।

60 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए

| कुल आय                             | आयकर की दरें   |
|------------------------------------|----------------|
| 2,50,000 / रुपये तक                | कोई टैक्स नहीं |
| 2,50,001 / रुपये से 5,00,000 तक    | 5%             |
| 5,00,001 / रुपये से 10,00,000 / तक | 20%            |
| 10,00,001 से अधिक                  | 30%            |

60 वर्ष से अधिक उम्र (वरिष्ठ नागरिक) पेंशनरों के लिए

| कुल आय                             | आयकर की दरें   |
|------------------------------------|----------------|
| 3,00,000 / रुपये तक                | कोई टैक्स नहीं |
| 3,00,001 / रुपये से 5,00,000 तक    | 5%             |
| 5,00,001 / रुपये से 10,00,000 / तक | 20%            |
| 10,00,001 से अधिक                  | 30%            |

अथवा

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के लिए निम्नानुसार विकल्प भी दिया गया है। जिसपर अन्य किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

विकल्प 02 का उपयोग हों /नहीं करना चाहता हूँ ।

विकल्प 02 (कृपया विकल्प 01 या 02 में से एक ही विकल्प चिन्हित करें )

| कुल आय                              | आयकर की दरें   |
|-------------------------------------|----------------|
| 2,50,000 / रुपये तक                 | कोई टैक्स नहीं |
| 2,50,001 / रुपये से 5,00,000 तक     | 5%             |
| 5,00,001 / रुपये से 7,50,000 / तक   | 10%            |
| 7,50,001 / रुपये से 10,00,000 / तक  | 15%            |
| 10,00,001 / रुपये से 12,50,000 / तक | 20%            |
| 12,50,001 / रुपये से 15,00,000 / तक | 25%            |
| 15,00,000 / रुपये से अधिक           | 30%            |

उपरोक्त आधार पर मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि बिना कुछ छुपाये मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही है । मैं वित्ताधिकारी को यह अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 से मेरा आयकर काट लिया जाये। सभी स्वप्रमाणित बचत दस्तावेज जैसे एल0आई0सी0,गवन निर्माण अग्रिम (मूल एवं ब्याज),आदि की प्रतिलिपि सलग्न कर दी गई है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी बचत योजनाओं में कोई भी बदलाव आता है तो उसकी सूचना 05 जनवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से लेखा विभाग को दे दी जायेगी। तदनुसार जनवरी 2020 से फरवरी 2021 के वेतन में वित्त वर्ष 2020-21 के आयकर की पुनः गणना कर ली जाये।

हस्ताक्षर .....

नाम.....

पद.....

मोबाईल न0.....